सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 88

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2261.00	59.00	2320.00	2252.00	75.00	2327.00	2261.00	85.00	2346.00
पूंजी		*139.00*	...	*139.00*	*148.00*	...	*148.00*	*139.00*	...	*139.00*
जोड़		**2400.00**	**59.00**	**2459.00**	**2400.00**	**75.00**	**2475.00**	**2400.00**	**85.00**	**2485.00**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	1.00	14.08	15.08	1.00	17.88	18.88	1.00	21.67	22.67
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
अनुसूचित जातियों का कल्याण										
3. अनुसूचित जातियों को उप आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उप आयोजना	2225	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	3601	467.60	...	467.60	576.21	...	576.21	467.50	...	467.50
	3602	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25
	जोड़	*469.10*	...	*469.10*	*577.71*	...	*577.71*	*469.00*	...	*469.00*
4 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	2225	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	3601	726.00	...	726.00	618.50	...	618.50	730.00	...	730.00
	3602	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*731.00*	...	*731.00*	*622.50*	...	*622.50*	*735.00*	...	*735.00*
5. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र	2225	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
	3601	37.90	...	37.90	41.90	...	41.90	40.90	...	40.90
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*39.00*	...	*39.00*	*43.00*	...	*43.00*	*42.00*	...	*42.00*
6. बालिका छात्रावास	2225	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
	3601	44.00	...	44.00	43.50	...	43.50	45.00	...	45.00
	3602	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00
	जोड़	*55.00*	...	*55.00*	*55.00*	...	*55.00*	*56.00*	...	*56.00*
7. लड़कों के लिए छात्रावास	2225	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
	3601	30.50	...	30.50	30.00	...	30.00	31.50	...	31.50
	3602	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50
	जोड़	*38.00*	...	*38.00*	*38.00*	...	*38.00*	*39.00*	...	*39.00*
8. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना	2225	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3601	53.70	...	53.70	53.70	...	53.70	78.70	...	78.70
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
	जोड़	*54.00*	...	*54.00*	*54.00*	...	*54.00*	*79.00*	...	*79.00*
9. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	33.60	...	33.60	33.60	...	33.60	34.00	...	34.00
10. राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	75.00	...	75.00	87.94	...	87.94	79.00	...	79.00
11. उच्च स्तरीय शिक्षा	2225	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	19.00	...	19.00
12. सफाई कर्मचारियों के उद्धार और पुनर्वास की स्वरोजगार योजना	2225	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	97.00	...	97.00
13. बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन	2225	54.00	...	54.00	54.00	...	54.00	...	...	...
14. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	6.50	11.17	17.67	6.50	11.59	18.09	7.00	11.69	18.69
	3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	6.50	...	6.50
	जोड़	8.50	11.17	19.67	8.50	11.59	20.09	13.50	11.69	25.19
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण		**1677.20**	**11.17**	**1688.37**	**1679.25**	**11.59**	**1690.84**	**1662.50**	**11.69**	**1674.19**
पिछड़े वर्गों का कल्याण										
15. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	3601	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	25.50	...	25.50
	3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	*27.00*	...	*27.00*	*27.00*	...	*27.00*	*27.00*	...	*27.00*
16. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	118.75	...	118.75	129.94	...	129.94	119.50	...	119.50
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*120.75*	...	*120.75*	*131.94*	...	*131.94*	*121.50*	...	*121.50*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
17. छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास	2225	0.50	...	0.50	...	...	...	0.50	...	0.50
	3601	30.50	...	30.50	30.00	...	30.00	30.50	...	30.50
	3602	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50
	जोड़	*31.50*	*...*	*31.50*	*30.25*	*...*	*30.25*	*31.50*	*...*	*31.50*
18. पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रम	2225	3.00	2.80	5.80	3.00	3.34	6.34	4.50	3.47	7.97
जोड़-पिछड़े वर्गों का कल्याण		**182.25**	**2.80**	**185.05**	**192.19**	**3.34**	**195.53**	**184.50**	**3.47**	**187.97**
19. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रम	2225	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90
	3601	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*8.00*	*...*	*8.00*	*6.00*	*...*	*6.00*	*8.00*	*...*	*8.00*
जोड़-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण		**1867.45**	**13.97**	**1881.42**	**1877.44**	**14.93**	**1892.37**	**1855.00**	**15.16**	**1870.16**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
विकलांगों का कल्याण										
20. दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजना	2235	60.50	...	60.50	60.50	...	60.50	66.50	...	66.50
21. राष्ट्रीय अंध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त, अस्थि विकलांग संस्थान	2235	47.00	27.05	74.05	47.00	33.82	80.82	46.50	42.41	88.91
22. शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक अंग और उपकरण	2235	69.50	...	69.50	69.50	...	69.50	69.00	...	69.00
23. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के	2235	10.00	...	10.00	9.00	...	9.00	11.00	...	11.00
क्रियान्वयन की योजनाएं	3601	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50
	जोड़	*15.50*	*...*	*15.50*	*14.50*	*...*	*14.50*	*16.50*	*...*	*16.50*
24. शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार योजना	2235	15.00	...	15.00	7.00	...	7.00	15.00	...	15.00
25. विकलांगों के कल्याण के लिए	2235	7.00	2.57	9.57	7.00	2.96	9.96	7.00	3.45	10.45
अन्य कार्यक्रम	3601	5.00	...	5.00	0.01	...	0.01	5.00	...	5.00
	जोड़	*12.00*	*2.57*	*14.57*	*7.01*	*2.96*	*9.97*	*12.00*	*3.45*	*15.45*
जोड़ विकलांगों का कल्याण		**219.50**	**29.62**	**249.12**	**205.51**	**36.78**	**242.29**	**225.50**	**45.86**	**271.36**
समाज कल्याण										
26. द्विपक्षीय करारों के अधीन वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	2235	...	0.59	0.59	...	4.39	4.39	...	1.00	1.00
27. मद्य निषेध और नशीले पदार्थों पर रोक हेतु शिक्षा कार्य	2235	29.60	...	29.60	24.60	...	24.60	30.00	...	30.00
28. वृद्धाश्रमों आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2235	31.70	...	31.70	31.70	...	31.70	32.50	...	32.50
29. अन्य कार्यक्रम	2235	21.50	0.68	22.18	21.50	0.96	22.46	22.00	1.25	23.25
जोड़-समाज कल्याण		**82.80**	**1.27**	**84.07**	**77.80**	**5.35**	**83.15**	**84.50**	**2.25**	**86.75**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**302.30**	**30.89**	**333.19**	**283.31**	**42.13**	**325.44**	**310.00**	**48.11**	**358.11**
30. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	125.50	...	125.50	125.50	...	125.50	125.50	...	125.50
	4235	9.00	...	9.00	18.00	...	18.00	9.00	...	9.00
	जोड़	*134.50*	*...*	*134.50*	*143.50*	*...*	*143.50*	*134.50*	*...*	*134.50*
31. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजना/स्कीम	2552	90.25	...	90.25	90.25	...	90.25	95.00	...	95.00
के लिए एकमुश्त प्रावधान	4552	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50
कुल जोड़		***2400.00***	***59.00***	***2459.00***	***2400.00***	***75.00***	***2475.00***	***2400.00***	***85.00***	***2485.00***

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
30.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को शेयर पूंजी	22225	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	20.00	...	20.00
30.02 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	22235	9.00	...	9.00	18.00	...	18.00	9.00	...	9.00
30.03 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास	22225	106.50	...	106.50	106.50	...	106.50	105.50	...	105.50
जोड़		**134.50**	**...**	**134.50**	**143.50**	**...**	**143.50**	**134.50**	**...**	**134.50**
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1992.95	...	1992.95	2002.94	...	2002.94	1980.50	...	1980.50
3. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	22235	311.30	...	311.30	301.31	...	301.31	319.00	...	319.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	94.75	...	94.75	94.75	...	94.75	99.50	...	99.50
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**2400.00**	**...**	**2400.00**	**2400.00**	**...**	**2400.00**	**2400.00**	**...**	**2400.00**

1. **सचिवालयः** इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **विवेकाधीन अनुदानः** विवेकाधीन अनुदान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा योग्य संगठनों और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं तथा जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए स्वीकृत किया जाता है ।

3. **अनुसूचित जाति उप-आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायताः** इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए संगत विकास कार्यक्रमों पर बल देना है। अनुसूचित जाति के युवकों को ऊंची आय वाले सृजनकारी कार्यकलापों में अपनी क्षमता और उत्कृष्टता सिद्ध करने के अधिक क्षेत्र खोलने, नए उभरते हुए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम के विद्यमान प्रारूप में बल देना रहा है। ऐसे क्षेत्रों में वाणिज्यिक पायलेट पाठयक्रम, विमानन और आतिथ्य पाठ्यक्रम, फैशन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम, सामान्य नर्सिंग पाठ्यक्रम और होटल प्रबंधन शामिल हैं। 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है जो अनुसूचित जाति उप आयोजना तैयार कर रही हैं और उन्हें क्रियान्वित कर रही हैं।

4. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः** इस योजना का उद्देश्य भारत में मान्यताप्राप्त संस्थाओं में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनकी संबंधित वचनबद्ध देयताओं के अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती है जो उनके अपने संसाधनों से वहन किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों की वचनबद्ध देयता को नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारंभ होने के साथ ही छोड़ दिया गया है।

5. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए तंत्रः** सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध देयता के अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को व्यय के 50 प्रतिशत के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह सहायता मुख्यतः प्रशासन, प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र को मजबूत बनाने, जागरूकता बढ़ाने, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहित करने और पीड़ित व्यक्तियों को राहत व पुनर्वास आदि के लिए दी जाती है।

6. **बालिका छात्रावासः** राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और केंद्रीय व राज्यों के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को नए निर्माण करने और विद्यमान छात्रावास भवनों के विस्तार हेतु 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र में मानद् विश्वविद्यालयों को उनके विद्यमान छात्रावासों के सिर्फ विस्तार के लिए अनुमानित लागत की 90% तक केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

7. **लड़कों के लिए छात्रावासः** अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए, जो माध्यमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्रावासों के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता राज्यों को 50:50 के आधार पर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत प्रदान की जाती है।

8. **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तिः** इस स्कीम का उद्देश्य अस्वच्छ व्यवसायों जैसे मैला ढोने, चमड़ा उतारने, चर्म-शोधन इत्यादि में लगे व्यक्तियों के बच्चों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को 50:50 तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

9. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायताः** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रयत्नों में लगे सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएं जिनमें विद्यालय-पूर्व शिक्षा सेवा कार्यकलाप जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेंसरियाँ और आय सृजक कार्यकलाप जैसे अनेक वाणिज्य कारोबारों में तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए प्रत्येक परियोजना की लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

10. **राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृतिः** यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों का उच्च स्तरीय अध्ययन करने के लिए 2005-2006 से शुरु की गई थी।

11. **उच्च स्तरीय शिक्षाः** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों की सूची अधिसूचित की गई है और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बड़ी छात्रवृति दी जाती है। इससे उनकी ट्यूशन फीस, निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कम्पयूटर संबंधी जरुरतें पूरी होंगी।

12. **सफाई कर्मचारियों (स्कैवेंजरों) के उद्धार और पुनर्वास की स्व-रोजगार योजनाः** यह स्कीम सफाई कर्मचारियों को अन्य काम धन्धों में लगाने के

लिए समयबद्ध सहायता प्रदान करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभप्रद स्वरोजगार पारिश्रमिक हेतु सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जाता है।

13. **बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन** : बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन की स्थापना उनके जन्म के शताब्दी वर्ष को मनाने और जाति व वर्ग विहिन समाज की स्थापना में उनकी अवधारणा, अस्पृश्यता के उन्मूलन पर उनका दर्शन, दलितों और पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करने की सतत संघर्ष और दबे कुचले वर्गों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रचार करने के लिए है।

14. **अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमः** इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अखिल भारतीय अथवा अन्तर राज्यिक स्वरुप की, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन, अम्बेडकर प्रतिष्ठान, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पर होने वाले स्थापना व्यय को पूरा करने की सहायक परियोजनाएं आती हैं।

15. **पिछड़े वर्गो के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृतिः** इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत, पिछड़े वर्गो के उन विद्योर्थियों को छात्रवृतियां दी जाती हैं जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से कुल आय 44,500/- रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होती है। इस योजना के अन्तर्गत, संबंधित राज्य की वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्य सरकारों को 50% केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

16. **पिछड़े वर्गो के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजनाः** इस योजना का उद्देश्य, मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देना है जिससे कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्य की वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

17. **पिछड़े वर्गो के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माणः** इस योजना का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा अवसर प्रदान करना है। तथापि, इस योजना में क्रीमी लेयर के विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे अर्थात् वे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की आय 4.50 लाख रू. प्रति वर्ष से अधिक है। ऐसे निर्माणों के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत और केंद्र सरकार की संस्थाओं और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले छात्रावासों में से कम से कम एक तिहाई छात्रावास छात्राओं के लिए होंगे।

18. **पिछड़े वर्गों के लिए अन्य कार्यक्रमः** इस प्रावधान का उद्देश्य, अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक एवं सामाजिक आर्थिक दशा सुधारने के लिए स्वैच्छिक सेक्टरों को सहायता अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत कुल अनुमोदित व्यय का 90% केन्द्र सरकार द्वारा तथा शेष 10%, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना व्यय भी आता है।

19. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए साझा कार्यक्रमः** यह योजना, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संभावित नौकरी तलाश करने वालों की आवश्यकताओं को, परीक्षा से पूर्व विशेष कोचिंग दिलाकर, पूरा करने के लिए बनायी गयी है जिससे कि इन श्रेणियों के विद्यार्थी सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह योजना राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही संस्थाएं 50:50 के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। विश्वविद्यालयों एवं गैर-सरकारी संगठनों को 90:10 के अनुसार सहायता दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्र शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं।

20. **दीनदयाल अपंग व्यक्ति पुनर्वास योजनाः** इस योजना के तहत, स्वैच्छिक संगठनों को शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य सहबद्ध कार्यकलापों के जरिए अपंग व्यक्तियों की मदद करने वाली परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है।

21. **राष्ट्रीय अन्ध, बधिर, मानसिक विक्षिप्त और बहुविध विकलांग व्यक्ति संस्थानः** अनेक कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की नीति के अनुरूप तथा विकलांग व्यक्तियों की बहु-आयामी समस्याओं के कारगर निदान की दृष्टि से, 7 राष्ट्रीय संस्थान अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रहे है। ये संस्थान विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति का विकास करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करा रहे है। ये संस्थान पंजीकृत समितियां हैं और केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं।

22. **शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक अंग और उपकरणः** इस योजना का उद्देश्य जरुरतमंद विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ, आधुनिक और मानक सहायक अंग और उपकरण प्रदान करके उनकी मदद करना है। इन उपकरणों से उनकी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक क्षमता बढ़ायी जा सकेगी तथा उनके मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

23. **निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के क्रियान्वयन की योजनाएंः** जिला अपंगता पुनर्वास केन्द्रों के लिए और बाधा रहित परिवेश बनाने की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

24. **शारीरिक रूप से अपंगों के लिए रोजगारः** इस स्कीम के अंतर्गत सरकार पहले तीन वर्ष के लिए प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रूपए प्रतिमाह वेतन वाले अपंग व्यक्तियों के रोजगार वाले कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता के अंशदान की अदायगियां करेगी।

25. **विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रमः** इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद, मिशन रुप में प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं, भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र, मुख्य आयुक्त (निःशक्तता) का कार्यालय, भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम और विकलांग महिलाओं को जन्म के पश्चात बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान शामिल है।

26. **द्विपक्षीय करारों के तहत वस्तु सहायता संबंधी वितरण व्ययः** इसके अन्तर्गत व्यवस्था द्विपक्षीय करारों के अन्तर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार प्रेषणों से सम्बन्धित परिवहन तथा आनुषंगिक व्यय को पूरा करने के लिए है। करारों में गरीब और जरूरतमन्द लोगों के सहायतार्थ और उनकी राहत और पुनर्वास के लिए इस मंत्रालय में पंजीकृत प्राप्तकर्ता स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों के भारत में निःशुल्क लाने की व्यवस्था है।

27. **नशीली दवा दुरुपयोग प्रतिषेध एवं निवारण से संबंधित शिक्षा कार्यः** इस योजना के तहत स्वयं सेवी संगठनों को कुल अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम व जम्मू और कश्मीर के मामले में यह 95 प्रतिशत है। इन संगठनों को यह आर्थिक सहायता नशे के आदी लोगों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्रों और नशामुक्ति केन्द्र चलाने, जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने एवं जनशक्ति विकास हेतु दी जाती है।

28. **वृद्धाश्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायताः** इस योजना में दिवस परिचर्या केन्द्रों, वृद्धाश्रमों, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटों की स्थापना तथा उन्हें सहायता जारी रखने और वृद्धों के लिए गैर-संस्थागत सेवाओं को बढ़ावा देने एवं सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है। यह योजना 01.04.2008 से संशोधित की गई है। वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करने के अलावा, इस योजना में अनेक नई परियोजनाएं शामिल की गई है, जैसे विश्राम गृह और सतत् देख-रेख आवास, वृद्धों के लिए बहु-सेवा केन्द्र चलाना, अल्जाइमर/मनोभ्रंश के रोगियों के लिए डे-केयर केन्द्र चलाना, वृद्धों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक और वृद्ध लोगों के लिए कान की मशीनें देना, उनके लिए हेल्प-लाइन और परामर्शी केन्द्र इत्यादि।

29. **अन्य कार्यक्रमः** इसमें राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, अनुसंधान अध्ययन और अनुसंधान प्रकाशनों, समाज रक्षा सेवाएं प्रदान करने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

30. **सरकारी उद्यमों में निवेश** बजटीय सहायता और आ.ब.बा.स. (आईईबीआर) के माध्यम से इक्विटी और ऋणों का ब्यौरा व्यय बजट (खण्ड-1) में दिया गया है। इसमें निम्नलिखित के लिए अंश पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई हैः

30.1 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम;

30.02 राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम;

32.03 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त और विकास निगम;

31 **पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधानः** यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।